

आदेश ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
प्रकरण संख्या 837/2022 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

एडलवाईज असेट रिकन्सट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड, दिल्ली प्रेस, बिल्डिंग नं. ई-3, झण्डेवाला एस्टेट, रानी
झांसी रोड़, दिल्ली।

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

1. गुरुकृपा,
2. श्री प्रद्युम्न शर्मा पुत्र श्री महेश प्रसाद शर्मा,
3. श्री मनोज कुमार शर्मा पुत्र श्री रमेश चंद्र शर्मा,
पता:- 33-बी, बापू एनक्लेव, जगतपुरा, जयपुर।
एवं प्लॉट नं. 7एफ-36, लाल बहादुर नगर पूर्व, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर।
एवं दुकान नं. 11, जेडीए शॉपिंग सेन्टर, मंगल मार्ग, बापू नगर, जयपुर।

अप्रार्थीगण

ऋणी एवं गारन्टर



उपस्थित-

The application under section 14 of The Securitisation
and Reconstruction of Financial Assets and
Enforcement of Security Interest Act, 2002

1. श्रीमती विमला चंदिरा, अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से।

आदेश

दिनांक 13.01.2023

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वित्तीय संस्था एचडीबी फाईनेन्शियल सर्विस लि. ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 30.09.2017 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्री प्रद्युम्न शर्मा के स्वामित्व की संपत्ति दुकान नं. 11, जेडीए शॉपिंग सेन्टर, मंगल मार्ग, बापू नगर, जयपुर, क्षेत्रफल 38.01 वर्गगज को बन्धक रख कर कुल राशि 34,04,620/-रूपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। तत्पश्चात् दिनांक 25.02.2020 को एचडीबी फाईनेन्शियल सर्विस लि. द्वारा एडलवाईज असेट रिकन्सट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड को जरिये असाइनमेन्ट एगीमेन्ट ऋणी का खाता स्थानान्तरित किया गया। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 20.10.2021 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गए। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।
3. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थीगणों को कुल राशि 34,04,620/- रूपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बन्धक के रूप में प्राचीन वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्राथीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि 61,26,724.27/- रुपये की ऋण सुविधा जमा कराने हेतु अप्राथीगण को दिनांक 20.10.2021 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन नोटिस जारी किया गया है अप्राथीगण द्वारा उक्त नोटिस का वित्तीय संस्था को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्राथीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रुपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। प्राधिकृत अधिकारी ने धारा 14 के समर्थन में आवश्यक शपथ प्रस्तुत कर दिया है।

4. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्राचीन वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्राथी श्री प्रद्युम्न शर्मा के स्वामित्व की बंधक संपत्ति दुकान नं. 11, जेडीए शॉपिंग सेक्टर, मंगल मार्ग, बापू नगर, जयपुर, क्षेत्रफल 38.01 वर्गगज का भौतिक रूप से कब्जा प्राचीन वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।
5. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्राचीन वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु आबन्ध करे। आदेश की प्रति हस्त कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल



6. आदेश आज दिनांक 13.01.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

25
 (प्रकाश राजपुरोहित)
 जिला मजिस्ट्रेट
 (कलक्टर) जयपुर